FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

रामचन्द्र बनाम रामकुमार वगै

मुकदमा हाल नं. 38 सन् 2019

[redacted] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06-7-21	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-9-21 को पेश हो।	
17-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन [illegible] पीठासीन अधिकारी दौरे पर व्यस्त/सीटिंग में है। पत्रावली [illegible] कार्यवाही है। दिनांक 09-11-21 को पेश हो।	
08.10.21	वादी वकील ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व विड्रा करने वादपत्र का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 09.11.21से पूर्व तलब होकर पेश हुई।प्रकरण में वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र को आगे नही चलाकर वादपत्र को विड्रा कर खारीज किये जाने का निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राज़ीनामा हो गया हैं अतः वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विड्रा कर खारीज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) श्रीमाधोपुर (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.11.09 18:16:54 IST Reason: SelfAttested	रामचन्द्र Form